प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट
परिशिष्ट 'छप्पन'
प्रश्न सं. [क्र. 937]

[28/2/2013]

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक 2996/PS/CT/08 भोपाल, दिनांक 29/7/2008

प्रति,

प्रमुख सचिव/सचिव,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर्स
कुल सचिव समस्त विश्वविद्यालय।

विषयः ठेकेदारों/सप्लायर्स को किये जा रहे भुगतान में से वेट की कटौती करने बाबत ।

...

मध्यप्रदेश में दिनाँक 01.04.2006 से मध्यप्रदेश वेट अधिनियम 2002 लागू है। वेट अधिनियम की धारा 26(1) के अनुसार किसी भी सप्लायर के रू0 5000.00 से अधिक के बिल का भुगतान करने के पूर्व प्रत्येक राज्य एवम केन्द्र शासन के विभाग के द्वारा वेट की राशि के बराबर की कटौती करना आवश्यक है। यह दर वही होगी जो कि वैट अधिनियम के अंतर्गत निश्चित की गयी हो। ऐसी कटौती बगैर इस बात को ध्यान में रखे की जाना है कि सप्लायर ने अपने विक्रय बीजक में वेट की राशि पृथक से वसूल की है अथवा नही। इस अधिनियम की धारा 26(6) के अनुसार स्त्रोत पर कटौती (टी.डी.एस.) न किये जाने पर ऐसी राशि न काटने वाले अधिकारी के ऊपर 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से अथवा काटी जाने वाली कर की राशि के 25 प्रतिशत तक शास्ति आरोपित की जा सकती है।

2. काटी गयी वेट की यह राशि शासकीय खजाने में फार्म 27 में चालान के द्वारा जिस माह मे कटौती की गयी हो उसके अगले माह की 10 तारीख के पूर्व जमा कराना आवश्यक है।

3. काटी गयी कर की राशि के सम्बन्ध में चालान से राशि जमा करने के बाद 'प्रारूप–31' (संलग्नक –4) में प्रमाण पत्र माल की सप्लाई करने वाले व्यवसायी को विभाग द्वारा जारी किये गये फार्म पर जारी किया जायेगा। यह फार्म सम्बन्धित वाणिज्यिक कर अधिकारी के कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।

भविष्य में उक्त फार्म सम्बन्धित वाणिज्यिक कर अधिकारी के समक्ष 'प्रारूप 32–ए' में आवेदन कर प्राप्त किये जा सकते हैं।

4. इसी प्रकार धारा 26(2) के प्रावधान के अनुसार यदि किसी व्यक्ति अथवा विभाग जिसके अन्तर्गत (1) राज्य/केन्द्रीय शासन के विभाग, (2) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, (3) नगर निगम/नगर पालिकायें (4) किसी विधान के अंतर्गत गठित कोई प्राधिकारी जैसे विकास प्राधिकरण, विश्वविद्यालय, सुधार न्यास, पंचायतें आदि (5) पब्लिक लिमिटेड क0,

इनमें से किसी के द्वारा कोई ठेका किसी ठेकेदार को दिया जाता है जिसमें ठेका निष्पादन में किसी माल का विक्रय भी सम्मिलित हो एवम प्रदत्त ठेका रूपये तीन लाख से अधिक का हो तब ऐसे ठेकेदार को कोई भी भुगतान करने के पूर्व 2 प्रतिशत की दर से वेट की कटौती करना आवश्यक है।

5. यदि ठेकेदार के व्दारा 11–ए के अंतर्गत लम– सम भुगतान की सुविधा का लाभ लिया गया होगा तो कटौती उस दर से करना होगी जो कि संबंधित वाणिज्यिक कर अधिकारी के व्दारा सूचित की जाये जो कि 2 प्रतिशत से अधिक भी हो सकती है। यदि सप्लायर/ठेकेदार ने धारा 27 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी से किसी अन्य दर की स्वीकृति प्राप्त की है तो ऐसे सप्लायर / ठेकेदार से संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर के व्दारा जारी किये गये प्रमाण पत्र में वर्णित दर से कर की कटौती की जावेगी।

सप्लायर्स के प्रकरण के समान ही काटी गयी राशि आगामी माह की 10 तारीख तक 'प्रारूप–27' में जमा करना आवश्यक है।

6. कटौती के प्रमाणस्वरूप ठेकेदार को जो प्रमाणपत्र जारी किया जाना है उसका प्रारूप 32 (संलग्नक –5) है. जिसके खाली फार्म वाणिज्यिक कर कार्यालय से आवेदन पत्र प्रारूप 32–ए में देकर प्राप्त किये जा सकते हैं।

7. वर्ष भर में जितनी भी कटौती इस प्रकार होगी उसकी जानकारी प्रारूप 35 में लेखा वर्ष समाप्ति के पश्चात 30 दिवस के भीतर प्रस्तुत करना आवश्यक है यह जानकारी आपको उस वाणिज्यिक कार्यालय मे देना होगी जिसके क्षेत्राधीन कटौती करने वाला विभाग आता हो।

8. अनुरोध है कि कृपया आप अपने समस्त अधीनस्थ अधिकारियों को उक्त प्रावधानों का पालन करने व स्त्रोत पर कटौती (TDS) करने के निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

धारा 26, 27 एवम संबंधित नियम व निर्धारित समस्त प्रारूप विभाग की वेबसाइट www.mptax.net अथवा www.mptax.org पर भी उपलब्ध हैं।

(जी.पी. सिंघल)
प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर
म.प्र.शासन,